

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 56/2019 वाद



सोहनलाल रेगर

// बनाम //

छगनलाल रेगर व अन्य

दावा धारा 88,188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 15.07.2019

वकील वादी के आवेदन पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। वकील वादी एवं वादी उपस्थित जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगणों के बीच राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। तथा इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराना चाहते हैं। वादी का वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा वादी का वाद इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

